standing with the Government of Nepal to manage the waters of those rivers which originate in Nepal but cause floods in Bihar every year;

(b) if so, what art the details thereof;

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to take up the issue with the Government of Nepal to save Bihar from recurring floods ?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) and (d) Negotiations to manage the rivers originating in Nepal for irrigation, power development and flood control in Bihar and Uttar pradesh have already been taken and Agreement or Memorandum of Understanding can be signed only after the two countries reach to settlements.

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये जल संसाधन मंत्रालय को निधियों का आबंटन

1603. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने जल संसाधन मंत्रालय को आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तथा वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना हेतु निधियों का आबंटन करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि देश में 70 प्रतिशत कृषि भूमि मानसून पर निर्भर है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) जल संसाधन मंत्रालय ने आठवीं योजना तथा वार्षिक योजना 1992-93 के लिए आयोग से कितनी धनराशि की मांग की थी और वास्तव में कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी ; और

(घ) जल संसाधन मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त पंच वर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना के लिए योजना आयोग से मदवार कितनी धनराशि की मांग की गयी और वास्तव में मदवार कितनी धनराशि आबंटित की गयी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, । योजना आयोग देश में उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं के संबंध में भली भांति जानता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) आठवीं योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है । आठवीं योजना और वार्षिक योजना 1992-93 के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित परिव्यय तथा वर्ष 1992-93 के लिए योजना आयोग द्वारा अनमोदित परिव्यय निम्नवत है :—

क्रम सं०	मदें	प्रस्तावित परिव्यय		वर्ष 1992-93 के लिए अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपए में)
		1992-97 के लिए	1992-93 के लिए (करोड़ रुपए में)	
1.	सचिवालय और आर्थिक सेवाएं	1.10	0.29	0.29
2.	वृहद और माध्यम सिंचाई	1607.01	364.89	30.20
3.	लघु सिंचाई	693.87	157.92	50.73
4.	कमान क्षेत्र विकास	2100.00	400.00	90.00
5.	बाढ़ नियंत्रण	1318.75	193.74	59.78
6.	परिवहन क्षेत्र	165.76	13.62	9.00
7.	कुल	5886.49	1130.46	240.00